

1824
2021

रिपोर्ट पटवारी नं-.../... (T.M.S.) कर्ता
प्रीतिन-... आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जमा की गई। निम्नलिखित अनुसार
प्राचीन द्वारा अशुद्ध दस्तावेजों के आधार पर, आधार कार्ड के आधार
पर रामेश्वर उ. बिडा के स्थान पर रामेश्वर उ. बिडा किया जाना उल्लिखित
है।

02/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

ज.गोपा
संविदा वायदा
सर्वेच
ग्राम पंचायत-पानडा
नं. स. उदयपुरवाटी (शुद्ध)

क्रमांक : राजरव/2020/

दिनांक

मूल ही उपखण्ड अधिकारी पानडा उदयपुरवाटी को पेशित कर लिखत है कि अधिलेखित पत्र के परिणामस्वरूप आवेदन
का नाम शुद्ध किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदन का जमा शुद्ध किया जाने की आवश्यकता की जाती है।

उक्त किता उचित है।

02/12/2021

तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला शुद्ध (गज)

-- आदेश --

दिनांक - 21/12/21

प्राचीन के 'खाता दुरुस्ती' प्राचीन पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (गु030)
उदयपुरवाटी/गुढागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गु030) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी के सहायक
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिने जाना है।

क्र.स.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	वाराह	2075-78	62 63	रामेश्वर उ. बिडा जानिअई	रामेश्वर उत एस.वाराह जानि अई

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय को
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 21/12/21

क्रमांक - राजरव/2020/1777-77

प्रतिस्तिपि -

- 1 तहसीलदार (गु030) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को जारी पाल पत्र।
- 2 प्राचीन/प्राचीना को सूचना।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

